निर्णय बईजलास श्री निकया गोहाएन आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

मि0न0 89/अपील/15

01. कन्हैयालाल पुत्र मुरारीलाल जी बांके, जाति ब्राह्मण, झालावाड़ (फोत)
का0मु0
1/1 चन्द्रप्रकाश आ0 कन्हैयालाल बांके नि0 5/ए–20 महावीर नगर तृतीय,कोटा
1/2 ओमप्रकाश आ0 कन्हैयालाल बांके नि0 5/ए–20 महावीर नगर तृतीय,कोटा
1/3 सत्यप्रकाश आ0 कन्हैयालाल बांके नि0 मंगलपुरा,झालावाड़
1/4 लव शर्मा आ0 कन्हैयालाल बांके नि0 मंगलपुरा,झालावाड़(फोत)
का0मु0
1/4/1 मिनाक्षी शर्मा विधवा लव शर्मा जाति ब्राह्मण नि0 मोहल्ला मंगलपुरा,झालावाड़
1/4/2 कुमारी राधिका पुत्री लव शर्मा नाबालिग द्वारा संरक्षक माता मिनाक्षी शर्मा विधवा लव शर्मा नि0 मोहल्ला मंगलपुरा,झालावाड़
1/4/3 कुमारी रूचिका पुत्री लव शर्मा नाबालिग द्वारा संरक्षक माता मिनाक्षी शर्मा विधवा लव शर्मा नि0 मोहल्ला मंगलपुरा,झालावाड़
1/5 कुश शर्मा आ0 कन्हैयालाल बांके नि0 बांके भवन,सीमेन्ट रोड़ झालावाड़(फोत)
का0मु0
1/5/1 सीमा शर्मा पत्नी कुश शर्मा
1/5/2 सिद्धार्थ पुत्र कुश शर्मा(नाबालिंग)
1/5/3 समर्थ पुत्र कुश शर्मा (नाबालिंग)
1/6 श्रीमति चन्दा देवी पत्नी कन्हैयालाल बांके नि0 बांके भवन,सीमेन्ट रोड़ झालावाड़
1/7 श्रीमति रजनी बाला पुत्री कन्हैयालाल बांके पत्नी राजेन्द्र उपाध्याय,दाउजी का मन्दिर ,मगंलपुरा झालावाड़
1/8 श्रीमति शशीबाला पुत्री कन्हैयालाल बांके पत्नी चन्द्र प्रकाश शर्मा नि0 ए–1578 रामकृष्णपुरम,कोटा
1/9 श्रीमति ज्योती शर्मा पुत्री कन्हैयालाल बाकें पत्नी कृष्णकुमार सुमन नि0 गोदाम की तलाई,झालावाड़
1/10 श्रीमति मंजू पुत्री कन्हैयालाल बाकें,पत्नी हर्ष मेहता,नि0 सिविल लाईन्स के पीछे,बूंन्दी
1/11 श्रीमति अंजू शर्मा पुत्री कन्हैयालाल बांके,पत्नी आशीष मेहता नि0 बडा बाजार छाजेड भवन की गली,झालावाड़

02. माणकचन्द पुत्र पन्नालाल सेवा निवृत उप जिला शिक्षा अधिकारी नि0 मकान न0 71–सी जवाहर कॉलोनी,झालावाड़
03. नसीर मोहम्मद पुत्र भूरे खान नि0 शर्मा सदन के सामने गुर्जरों के मंदिर के पास नाला मोहल्ला,झालावाड़
04. भैरूलाल पुत्र तुलसीराम कुम्हार,अध्यापक नि0 कुम्हार मोहल्ला कॉलेज के पीछे,झालावाड़
05. श्रामचरण पुत्र कन्हैयालाल दाधीच सेवा निवृत अध्यापक,छत भवन के पास,प्रीति इलेक्ट्रिकल्स,मंगलपुरा झालावाड़

बनाम

01. नगर पालिका झालावाड़ जरिये अधिशाषी अधिकारी,झालावाड़
02. हंसराज कितावत पुत्र बद्रीलाल कितावत,मंगलपुरा,झालावाड़

प्रकरण अन्तर्गत धारा 285(1)राज0 नगर पालिका अधिनियम 1959

उपस्थित:– श्री संजय सक्सेना अभिभाषक अपीलान्ट 1/2, 1/4/1,1/6,1/7
निलोफर स्वादी अभिभाषक रेस्पो0 (नगर परिषद की और से)
[illegible] माहेश्वरी अभिभाषक रेस्पो. 2

–: निर्णय :–

दिनांकः 20.10.2020

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 02.07.1984 को नगर पालिका झालावाड़ द्वारा पालिका क्षेत्र में प्लाट्स को सार्वजनिक निलामी द्वारा विकय करने के संबन्ध में सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी कर निलामी हेतु 23.07.1984 से 25.07.1984 तक की तारीख नियत की गई थी (जिसमें मौहल्ला बुर्जपाडा वार्ड न0 1 में स्थित भूखण्ड 50 गुना 25 गुना 20/2 अर्थात 1125 वर्ग फीट नीलाम करने का उल्लेख है) उक्त दिनांक 02.07.1984 को नगर पालिका द्वारा जारी आदेश विज्ञप्ति के विरूद्ध अपीलान्ट्स द्वारा उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ के समक्ष दिनांक 24.07.1984 को प्रा0पत्र प्रस्तुत किया गया जिसको उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 25.05.1988 को अपने निर्णय में अंकन किया '' पत्रावली का अवलोकन किया जिसमें येह पाया जाता है कि प्रार्थीगण का कोई हित विवादग्रस्त प्लाट पर प्रतीत नही होता है। यह प्लाट नगर पालिका का

जिला कलक्टर
झालावाड़

होना रेकार्ड के आधार पर प्रमाणित है,प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थी गण कोई विशेष प्रयोजन हासिल कर नगर पालिका को नुकसान पहुंचाना चहाते है। हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में कोई सार होना उचित नही समझते है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है एवं नगर पालिका झालावाड़ को निर्देश दिया जाता है कि प्लाट मुतनियाजा को जब भी नीलाम किया जावे नीलामी के समय यदि यह धार्मिक स्थान चबुतरे की शक्ल में वहां मोजूद हो तो उसकी स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन नही किया जावे। आगे अंकंन किया गया कि " निर्णय वास्ते अनुमोदन के लिये धारा 285 के तहत श्रीमान जिला कलक्टर साहब झालावाड़ के पास भेजा जावे। जिला कलक्टर,झालावाड़ के समक्ष प्रकरण भिजवाया जाने पर न्यायालय जिला कलक्टर में प्रकरण सख्या 95/अपील/88 दर्ज किया जाकर बाद सुनवाई दिनांक 27.05.1996 को अपने निर्णय में इस अंकन के साथ " विवादित प्लाट का उपयोग आम रास्ते के रूप में किया जाता है तथा पास ही भैरू जी का स्थान है एंव गढ बिल्डिंग के पानी की निकासी के मौखे भी पास में स्थित हैं। ऐसी स्थिति में इस सार्वजनिक उपयोग की भूमि को प्लाट बनाकर बेचान किया जाना न्यायोचित नही ठहराया जा सकता है। फलस्वरूप उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ का निर्णय दिनांक 25.05.1988 अनुमोदन किये जाने योग्य नही रहता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा आदेश नगर पालिका झालावाड़ दिनांक 02.07.1984 जिसके तहत इस विवादित प्लाट को नीलाम करने की स्वीकृति जारी की गई है रद्द (Setaside) की जाती है। जिला कलक्टर,झालावाड़ के निर्णय दिनांक 27.05.1996 के विरूद्ध निगरानीकर्ता(हसंराज) द्वारा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 1959 की धारा 300 के अन्तर्गत न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई जिसके लम्बित रहते राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 327 प्रभाव में आने पर धारा 327 व तत्कालीन अधिनियम की धारा 300 की लंबित निगरानी का श्रवणाधिकार निदेशक स्थानीय निकाय,राज0जयपुर को होने से उक्त निगरानी स्थानान्तरित किये जाने पर एफ. 53(253)/निग/डीएलबी/11/2985 पर दर्ज कर बाद सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 07.11.2013 में अंकन किया " माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने नगर पालिका झालावाड़ के आदेश दिनांक 02.07.1984 जिसके द्वारा विवादित प्लाट को नीलाम करने की स्वीकृति जारी की गई है को रद्द किया गया है। निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड/दस्तावेजों से स्पष्ट है कि विवादित प्लाट की नीलामी स्वीकृति पश्चात नगरपालिका द्वारा दिनांक 23.11.1985 को परपिचुअल लीजडीड का पंजीयन भी निगरानीकर्ता के पक्ष में करवाया जाकर निर्माण स्वीकृति भी जारी की जा चुकी है। माननीय अधीनस्थ न्यायलाय में निगरानीकर्ता को हितबद्ध होने पर भी पक्षकार नही बनाया गया जिससे वह अपना पक्ष प्रस्तुत नही कर सका। नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार निगरानीकर्ता को पक्षकार बनाया जाकर वाद निर्णय किया जाना आवश्यक था। अतः प्रकरण जिला कलक्टर,झालावाड़ को भिजवाकर निर्देशित किया जाता है कि वह निगरानीकर्ता हंसराज को बतौर अप्रार्थी बनाया जाकर समस्त पक्षकारान को सुनकर पुनः विधि सम्मत आदेश पारित करें।

प्रकरण प्राप्त होने पर सभी पक्षकारान को जर्ये सूचना पत्र तलब किया गया व सुनवाई की गई।

प्रकरण में अपीलान्ट्स 1/2, 1/4/1,1/6,1/7 की और से अभिभाषक श्री संजय सक्सेना उपस्थित हुए व लिखित बहस प्रस्तुत की गई बाकी अपीलान्ट्स के उपस्थित नही होने पर उनका पक्ष नही सुना जा सका।

प्रकरण में अपीलान्ट्स की और से उपस्थित अभिभाषक श्री संजय सक्सेना द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस में मुख्यतः अंकन किया कि नगर पालिका झालावाड़ द्वारा सार्वजनिक उपयोग की भूमि जिस पर आम रास्ता भेरू जी का चबुतरा है तथा पुरातत्व सम्पदा गढ बिल्डिंग से निकलने वाले पानी के मोखे है उक्त भूमि को हंसराज से मिलजुलकर 3500/–रूपये में बेचने का दिनांक 02.07.1984 को आदेश पारित कर दिया जबकि इस भू भाग की डीएलसी रेट के अनुसार निवास की कीमत 195000/–रूपये से अधिक है। नगरपालिका के आदेश 02.07.1984 को खारिज कराने हेतु उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ के समक्ष आवेदन करने पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा अन्शतः(Partial) स्वीकार करते हुए अपने आदेश 25.05.1988 के साथ अन्तिम निर्णय हेतु जिला कलक्टर,झालावाड़ के समक्ष प्रस्तुत करने पर जिला कलक्टर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 27.05.1996 से नगर पालिका झालावाड़ के आदेश 02.07.1984 को खारिज कर दिया गया । हंसराज के पक्ष में नगर पालिका झालावाड़ द्वारा दिनांक 02.07.1984 के आदेश से विक्रय की जाने वाली भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि है जिसे बैचने का नगर पालिका को वैधानिक अधिकार नही था लेकिन अप्रार्थी न0 2 से मिलजुलकर नगरपालिका झालावाड़ ने दिनांक 02.07.1984 को जारी आदेश निरस्तनीय है। नगर पालिका झालावाड़ के आदेश 02.07.1984 में वर्णित भूमि का सार्वजनिक उपभोग की भूमि एक स्वीकारोक्ति तथ्य है उपखण्ड अधिकारी,झालावाड़ द्वारा इन तथ्यों को अस्वीकार नही करते हुए अपने निर्णय दिनांक 25.05.1988 में भेरू जी के चबुतरे को सुरक्षित रखा गया है। लेकिन गढ बिल्डिंग के तीन मोखे एंव सार्वजनिक आम रास्ते की सुरक्षा का आदेश नही देकर तथ्यों के विरूद्ध आदेश देने के कारण उपखण्ड अधिकारी का निर्णय 25.05.1988 निरस्त योग्य है। स्थानीय निकाय राजस्थान जयपुर ने जिला कलक्टर के निर्णय 27.05.1996 को निरस्त नही किया है केवल अप्रार्थी न0 2 को पक्षकार बनाकर सुनवायी का निर्णय दिया है । आवेदन

जिला कलक्टर
झालावाड़

स्वीकार कर नगर पालिका झालावाड़ (जिसका नाम अब नगर परिषद झालावाड़ कर दिया गया है) का निर्णय दिनांक 02.07.1984 निरस्त किया जावे।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस की पुष्ठी करते हुए व्यक्त किया कि नगर पालिका झालावाड़ के आदेश 02.07.1984 में वर्णित भूमि का सार्वजनिक उपभोग की भूमि एक स्वीकारोक्ति तथ्य है उपखण्ड अधिकारी,झालावाड़ द्वारा इन तथ्यों को अस्वीकार नही करते हुए अपने निर्णय दिनांक 25.05.1988 में भेरू जी के चबुतरे को सुरक्षित रखा गया है। लेकिन गढ बिल्डिंग के तीन मोखे एंव सार्वजनिक आम रास्ते की सुरक्षा का आदेश नही देकर तथ्यों के विरूद्ध आदेश देने के कारण उपखण्ड अधिकारी का निर्णय 25.05.1988 निरस्त योग्य है। स्थानीय निकाय राजस्थान जयपुर ने जिला कलक्टर के निर्णय 27.05.1996 को निरस्त नही किया है केवल अप्रार्थी न0 2 को पक्षकार बनाकर सुनवायी का निर्णय दिया है । आवेदन स्वीकार कर नगर पालिका झालावाड़ (जिसका नाम अब नगर परिषद झालावाड़ कर दिया गया है) का निर्णय दिनांक 02.07.1984 निरस्त किया जावे। इस पर अभिभाषक रेस्पो0 2 द्वारा व्यक्त किया कि दिनांक 02.07.1984 को नगर पालिका झालावाड़ द्वारा पालिका क्षेत्र में प्लाट्स को सार्वजनिक निलामी द्वारा विक्रय करने के संबन्ध में जारी सार्वजनिक विज्ञप्ति जिसमें निलामी हेतु 23.07.1984 से 25.07.1984 नियत थी में रेस्पो0द्वारा बोली लगाई जाकर बोली स्वीकृत होने पर दिनांक 25.07.1984 को आशिंक व बकाया राशि दिनांक 06.11.1984 को नगर पालिका में जमा करवा दिये गये थे जिस पर नगर पालिका द्वारा तथा बोली स्वीकृत होने के बाद 22.11.1985 को परपिचुवल लीजडीड निष्पादित कर उप पंजीयक के कार्यालय में दिनांक 23.11.1985 को क्रम सं0 718 पर पंजीबद्ध करवादी गई थी जिसको किसी भी न्यायालय द्वारा निरस्त नही किया गया है व उक्त पंजीबद्ध दस्तावेज के आधार पर नगर पालिका द्वारा निर्माण स्वीकृति भी जारी करदी गई थी । पंजीबद्ध दस्तावेज को निरस्त करने का अधिकार न्यायालय हाजा को नही है। अपील खारिज की जावे। इस पर अभिभाषक रेस्पो0 नगर पालिका द्वारा व्यक्त किया गया कि प्रकरण में रेस्पो0 हंसराज को पक्षकार बनाने के आदेश स्थानीय निकाय विभाग द्वारा दिये जाने पर उनको पक्षकार बनाया जा चुका है। पूर्व में पारित निर्णय उचित है।

हमने बहस उभय पक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। अभिभाषक अपीलान्ट का कथन की नगर पालिका द्वारा हंसराज से मिलकर 3500/–रूपये में बेचने का दिनांक 02.07.1984 को आदेश पारित कर दिया जबकि इस भू भाग की डीएलसी रेट के अनुसार निवास की कीमत 195000/–रूपये से अधिक है, से हम सहमत नही है क्यों कि दिनांक 02.07.1984 को नगर पालिका द्वारा इश्तेहारी नीलामी का आदेश दिनांक 23.07.1984 से 25.07.1984 तक पुकरवाई जाने वाली नीलामी बोली के लिये था व बाद नीलामी हंसराज की बोली अधिकतम होने से अंतिम बोली फाईनल होने के उपरान्त 1/4 राशि जरिये रसीद स0 852 दिनांक 25.07.1984 को नगर पालिका में जमा करवा दिये तथा बोली स्वीकृत होने के बाद बकाया राशि दिनांक 06.11.1984 को जमा करवाया जाना साबित है इसी क्रम में उनका कथन की डीएलसी रेट के अनुसार निवास कीमत 195000/–रू से अधिक है जिसके पक्ष में उनके द्वारा कार्यवाही बैठक विवरण बाजार दर निर्धारण दिनांक 28.06.2005 जो दर 12.07.2005 से लागू होना अंकन है व इसी तरह कार्यवाही बैठक विवरण बाजार दर निर्धारण दिनांक 02.09.2009 जो दिनांक 03.09.2009 से प्रभावी होना अकंन है कि छाया प्रति प्रस्तुत की गई है जबकि जो नीलामी नगर पालिका द्वारा उक्त वाद ग्रस्त प्लाट बाबत की गई है वह 1984 में किया जाना पत्रावली से साबित है। नगर पालिका द्वारा जारी इश्तेहारी निलामी के आदेश दिनांक 02.07.1984 को उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ के समक्ष चेलेन्ज करने पर अपने आदेश 25.05.1988 से उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रा0पत्र को खारिज कर दिया व अनुमोदन के लिये तत्कालिन जिला कलक्टर के समक्ष भिजवा दिया गया। यंहा यह उल्लेखित किया जाना बहुत आवश्यक है कि नगर पालिका द्वारा जारी इश्तेहारी नीलामी आदेश 02.07.1984 के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रकरण विचाराधीन रहते जिसमें की नगर पालिका आवश्यक पक्षकार था नगर पालिका की और से उपखण्ड न्यायालय में अधिवक्ता भी उपस्थित रहे किन्तु प्रकरण के विचाराधीन रहते भी नगर पालिका द्वारा उक्त नीलामी बोली 23.07.1984 से 25.07.1984 तक पुकरवाई गई तथा नीलामी बोली दिनांक 19.09.1984 को स्वीकृत की गई। प्रकरण विचाराधीन रहने के दौरान ही हंसराज की बोली अधिकतम होने से अंतिम बोली फाईनल होने के उपरान्त हंसराज द्वारा 1/4 राशि जरिये रसीद स0 852 दिनांक 25.07.1984 को नगर पालिका में जमा करवा दिये तथा बोली स्वीकृत होने के बाद बकाया राशि दिनांक 06.11.1984 को जमा करवादी गई किन्तु इस बाबत कोई जानकारी अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,झालावाड़ के ध्यान में नही लाई गई । प्रकरण में बाद सुनवाई उपखण्ड अधिकारी,झालावाड़ द्वारा दिनांक 25.05.1988 से प्रार्थीगण का कोई हित विवादग्रस्त प्लाट पर प्रतीत नही होने व प्लाट नगर पालिका का होना रेकार्ड के आधार पर प्रमाणित होने व प्रार्थी गण कोई विशेष प्रयोजन हासिल कर नगर पालिका को नुकसान पहुंचाना चहाते है अंकन करते हुए प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में कोई सार होना उचित नही समझते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया किया गया व अनुमोदन हेतु जिला कलक्टर झालावाड़ के समक्ष भिजवाया गया। प्रकरण भिजवाया जाने पर न्यायालय जिला कलक्टर में प्रकरण सख्या 95/अपील/88 दर्ज किया जाकर बाद सुनवाई दिनांक 27.05.1996 को अपने निर्णय में इस अंकन के साथ " विवादित प्लाट का उपयोग आम रास्ते

जिला कलक्टर
झालावाड़

के रूप में किया जाता है तथा पास ही भैरू जी का स्थान है एंव गढ बिल्डिंग के पानी की निकासी के मौखे भी पास में स्थित हैं। ऐसी स्थिति में इस सार्वजनिक उपयोग की भूमि को प्लाट बनाकर बेचान किया जाना न्यायोचित नही ठहराया जा सकता है। फलस्वरूप उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ का निर्णय दिनांक 25.05.1988 अनुमोदन किये जाने योग्य नही रहता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा आदेश नगर पालिका झालावाड़ दिनांक 02.07.1984 जिसके तहत इस विवादित प्लाट को नीलाम करने की स्वीकृति जारी की गई है रद्द (Setaside) की जाती है। यंहा फिर से अंकन किया जाना उचित है कि उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ के समक्ष व जिला कलक्टर झालावाड़ के समक्ष प्रकरण विचाराधीन रहने के दौरान नगर पालिका द्वारा उक्त वाद ग्रस्त प्लाट बाबत प्रकिया अनवरत जारी रही प्लाट की नीलामी कार्यवाही में अंतिम बोली फाईनल होने के उपरान्त 1/4 राशि जरिये रसीद स0 852 दिनांक 25.07.1984 को नगर पालिका में जमा होना तथा बोली स्वीकृत होने के बाद बकाया राशि दिनांक 06.11.1984 को नगर पालिका में जमा करवाया जाना साबित है। इसी कम में न्यायालय जिला कलक्टर के निर्णय के विरूद्ध केता निगरानीकार द्वारा निगरानी निदेशक स्थानीय निकाय,राज0जयपुर को प्रस्तुत करने पर एफ. 53(253)/निग/डीएलबी/11/2985 पर दर्ज कर बाद सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 07.11.2013 में अंकन किया " माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने नगर पालिका झालावाड़ के आदेश दिनांक 02.07. 1984 जिसके द्वारा विवादित प्लाट को नीलाम करने की स्वीकृति जारी की गई है को रद्द किया गया है। निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड/दस्तावेजों से स्पष्ट है कि विवादित प्लाट की नीलामी स्वीकृति पश्चात नगरपालिका द्वारा दिनांक 23.11.1985 को परपिचुअल लीजडीड का पंजीयन भी निगरानीकर्ता के पक्ष में करवाया जाकर निर्माण स्वीकृति भी जारी की जा चुकी है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय में निगरानीकर्ता को हितबद्ध होने पर भी पक्षकार नही बनाया गया जिससे वह अपना पक्ष प्रस्तुत नही कर सका। नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार निगरानीकर्ता को पक्षकार बनाया जाकर वाद निर्णय किया जाना आवश्यक था। अतः प्रकरण जिला कलक्टर,झालावाड़ को भिजवाकर निर्देशित किया जाता है कि वह निगरानीकर्ता हंसराज को बतौर अप्रार्थी बनाया जाकर समस्त पक्षकारान को सुनकर पुनः विधि सम्मत आदेश पारित करें। इस प्रकार रेस्पो0 2 हंसराज जो उक्त आराजी का केता था द्वारा विधिनुरूप नीलामी में हिस्सा लेना व अंतिम निलामी स्वीकृत होने पर समस्त राशि जमा करवाया जाना तदुपरान्त नगर पालिका द्वारा उसके पक्ष में उक्त आराजी की दिनांक 22.11.1985 को परपिचुवल लीजडीड निष्पादित कर उप पंजीयक के कार्यालय में दिनांक 23.11.1985 को कम सं0 718 पर पंजीबद्ध करवाया जाना व नगर पालिका द्वारा हंसराज केता के पक्ष में दिनांक 03.08.1993 को निर्माण स्वीकृति जारी किया जाना भी साबित है जिसकी पुष्टी निदेशक स्थानीय निकाय,राज0जयपुर एफ.53(253)/निग/डीएलबी/11/2985 निर्णय दिनांक 07. 11.2013 मे भी की गई है। अतः उपरोक्त विवेचन से अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है व उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ द्वारा प्रकरण संख्या 188/84 निर्णय दिनांक 25.05.1988 की पुष्टी की जाती है। पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.10.2020 को मेरें द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निकुम्भ गोहाएन)
जिला कलक्टर
झालावाड़